संख्या-डी-86/सात-न्याय-3-23-924(59)/90टी.सी.

प्रेषक,

प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियाँ) लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2023

विषय- उ0प्र0 राज्य में नोटरी प्रबन्धन प्रणाली का ऑनलाइन शुभारम्भ किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत नोटरी अधिवक्तागण की नियुक्ति एवं नवीनीकरण से सम्बन्धित प्रक्रियाओं का संचालन नोटरी अधिनियम, 1952 एवं नोटरी नियम, 1956 में उल्लिखित प्राविधानों के आलोक में ऑफलाइन माध्यम से किया जाता रहा है। नोटरी अधिवक्ताओं के सम्पूर्ण विवरण एवं नियुक्ति प्रक्रियाओं के सुचारू एवं पारदर्शी संचालन हेतु वेबसाइट http://upnoms.up.gov.in का शुभारम्भ किया गया है।

2- उक्त वेबसाइट पर नोटरी अधिवक्तागण के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण एवं कार्यरत नोटरी अधिवक्तागण के सम्पूर्ण विवरण/दस्तावेज अपलोड किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही संचालित की जानी है। नोटरी अधिवक्तागण का सम्पूर्ण विवरण ऑनलाइन होने से आम जनमानस को अपने नोटरी अधिवक्ता के बारे में सहजता से जानकारी हो सकेगी।

3- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने-अपने जनपदों में कार्यरत नोटरी अधिवक्तागण को उक्त वेबसाइट से अवगत कराते हुए उनका सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट http://upnoms.up.gov.in पर उपलब्ध/फीड कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II)
प्रमुख सचिव

संख्या-डी-86(1)/सात-न्याय-3-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निकुंज मित्तल)
विशेष सचिव

आदेश:- अवलोकित। इस आदेश की एक-एक प्रति अध्यक्ष/मंत्री, दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ एवं अध्यक्ष/मंत्री, तहसील बार एशोसिएशन को समस्त अधिवक्तागण के मध्य परिचालित कराये जाने हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश की एक प्रति प्रभारी अधिकारी नोटरी, जनपद न्यायालय जौनपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय, जौनपुर को निर्देशित किया जाता है कि जन साधारण के सूचनार्थ उक्त आदेश को जनपद न्यायालय जौनपुर की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।
01.02.2023